प्रपत्र सं. 4

# विक्रय की उद्‌घोषणा

(देखिये नियम 29 व 54)

**न्यायालय कलक्टर/सहायक खनि अभियन्ता (वसूली) खान एवं भूविज्ञान विभाग, चूरू (राज.)।**

क्रमांकः—स.ख.अ./चूरू/भू—राजस्व/2024—25/ 11 दिनांकः—

**—नोटिस—**

एतद्‌द्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 230/235/237) के अधीन चूक करने वाले **सर्वश्री जगदम्बा स्टोन क्रेशिंग ईण्डस्ट्रीज, प्रो0 — सुभाष चन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी रणधीसर पहाड़ी, तह. सुजानगढ़ जिला चूरू** द्वारा देय राजस्व लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिए संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पति के विक्रय के लिए इस न्यायलय द्वारा आज्ञा दी गई है । विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों (लाट्स) में सम्पति का विक्रय किया जावेगा।

स्थान को आज्ञा के अभाव में विक्रय **1. श्री अर्जुनराम खनिकार्यदेशक—II** (अधिकारी का नाम) के द्वारा **दिनांक..20..माह...05..वर्ष...2024...को बजे.....प्रातः 11.00....स्थान खसरा सं. 1024/76 ग्राम रणधीसर तह. सुजानगढ़ जिला चूरू** में किया जावेगा तथापि किसी भी लाट् की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में निर्दिष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्चे दे दिये या चुका दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमन्त्रित की जाती है। तथापि उपरोक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जावेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना, वैध होगा।

## विक्रय की अन्य शर्ते निम्नलिखित हैः—

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये है। परन्तु इस उद्‌घोषणा में कोई त्रुटि गलत विवरण या भूल होने के लिये न्यायालय का उतरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जावेगी विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी, बोली की रकम या बोली लगाने के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में लाट् को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जायेगा।
3. सबसे ऊंची बोली लगाने वाला किसी भी लाट् का खरीददार घोषित किया जायेगा किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि बोली लगाने के लिये बोधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि सबसे ऊंची बोली को मंजूर करने से इन्कार करना उस हालत में न्यायालय या विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा जब कि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित होगा।
4. सदैव कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 21 नियम 9 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थापित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पति की दशा में प्रत्येक लाट् का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने के तुरन्त पश्चात् चूका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्रय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार न जमा कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय में होने वाले खर्चे के लिये तथा पुनः विक्रय के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिये उतरदायी होगा जो कि कलक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह राजस्व की बकाया हो।
   (ख) खरीददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम सम्पति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिससे वह दिन शामिल नहीं होगा या पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्‌टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।
   (ग) अनुमत अवधि में क्रय मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी के पश्चात् सम्पति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्चो निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकेगी और दोषी खरीददार सम्पति पर या रकम के ऐसे किसी भाग पर उसके लिये फिर से बेची जाये समस्त हक खो बेठेगा।
   (घ) यदि अनन्तः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा जैसे कि वह राजस्व की बकाया हो।
7. (क) भूमि समस्त भारों (Encumbrances) से मुक्त बेची जावेगी और ऐसी भूमि के संबंध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलामी द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।
   (ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिए लागू नहीं होगा जो कि रहने के मकानों या फैक्ट्रियों के निर्माण के लिये या बागों, तालाबों, नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये या अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्‌टों के अधीन धारणा की जा रही हो ऐसी भूमि ऐसे पट्‌टों में निर्दिष्टि प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।
   (ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार विक्रय किये जा चुकने से पूर्व किसी भी समय निर्देश दे सकती है उस भूमि के धारक द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके मार्फत वह भूमि धारक अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकार के अधीन [illegible] किया जाये जैसा कि सरकार उचित समझें।

RajKaj Ref
6967402

Signature valid
Digitally signed by Norang Lal Meghwal
Designation : Assistant Mining Engineer
Date: 2024.05.03 16:[illegible]:16 IST
Reason: Approved

## अनुसूची

### वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम राशि रू. **2,12,63,337/— एवं ब्याज**
2. कुर्की का खर्चा **नियमानुसार**
3. विक्रय का, यदि सम्पति नीलाम नहीं की गई तो आमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चा— **नियमानुसार**

**योग— राशि रू. 2,12,63,337/— एवं नियमानुसार ब्याज**

### बेची जाने वाली सम्पति

| समूहों (प्लाटों) की सं. | बेची जाने वाली सम्पति का विवरण | राजस्थान एक्ट 15 सन् 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्व | भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मार्फत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण (तुलनार्थ देखिये) राज. एक्ट 1956 की धारा 236 की उपधारा (3) | दावे यदि कोई जो कि सम्पति के संबंध में रखे गये हों व उसकी किस्म तथा मूल्य के संबंध में कोई भी ज्ञात विवरण |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| नि. ग्रा. रणधीसर पटवार हल्का रणधीसर तहसील सुजानगढ कुल रक्बा— 1.9852 है0 | 1. खाता सं. नया 384 खसरा सं. 1024/76 क्षेत्रफल 1.9852 हैक्टेयर | | | स्वयं के नाम |

आज दिनांक .03..माह...05...वर्ष.....2024. को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई।

न्यायालय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली)
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
चूरू (राज.)।

क्रमांकः–सम/ 12—19

दिनांकः–03.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलेक्टर, चूरू (राज.)।
2. श्रीमान तहसीलदार, सुजानगढ़ ।
3. श्रीमान आयुक्त, नगर परिषद, सुजानगढ़।
4. श्रीमान् थानाधिकारी छापर को भेजकर निवेदन है कि बाकीदार को नोटिस तामिल करवाने का श्रम करावें।
5. हल्का पटवारी, रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, सुजानगढ़।
6. नीलामी अधिकारी श्री अर्जुनराम खनि कार्यदेशक–II।
7. बाकीदार सर्वश्री जगदम्बा स्टोन क्रेशिंग ईण्डस्ट्रीज, प्रो0 सुभाष चन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी रणधीसर पहाड़ी, तह. सुजानगढ़ जिला चूरू को द्वारा थानाधिकारी छापर।
8. श्रीमान प्रभारी अधिकारी, डीएमजीओएमएस, निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

RajKaj Ref
6967402

Signature valid
Digitally signed by Norang Lal Meghwal
Designation : Assistant Mining Engineer
Date: 2024.05.03 16:2?:16 IST
Reason: Approved